उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या /313 /VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांकः 06 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

राज्यपाल, राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य के समेकित विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा वर्षवार रोजगार सृजन हेतु **"उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित)"** में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम संशोधन नीति–2018** निम्नलिखित नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के प्रस्तर 2.4 में स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
प्रस्तर 2 का संशोधन	नोटः (अ) श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (Manufacturing Activities) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। (ब) श्रेणी–बी+ के अन्तर्गत आच्छादित मैदानी क्षेत्रों का विस्तृत निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर पृथक से किया जायेगा।	नोटः **(अ) श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथाः पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** (ब) श्रेणी–बी+ के अन्तर्गत आच्छादित मैदानी क्षेत्रों का विस्तृत निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर पृथक रूप से किया जायेगा।
	वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियाँ/क्रियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगेः–	**वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम** वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियाँ/क्रियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगेः–
	श्रेणी–ए एवं बी	**श्रेणी–ए एवं बी**
	• हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम। • विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्योग/गतिविधियाँ। • प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन क्रियाकलाप।	• हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम। • विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्योग/गतिविधियाँ। • प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन क्रियाकलाप।

• पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियाँः– ➢ होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे। ➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधओं युक्त नर्सिंग होम। ➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण। • जैव प्रौद्योगिकी। • संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियाँ। • पेट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम।	• पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियाँः– ➢ होटल एवं रिसॉर्ट, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल : बंजी जम्पिंग, पावर बोट्स, कयाकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी–प्लेन, हॉट एयर बैलून, स्किल गेम पार्क, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्कीइंग/सर्फिंग, टैन्ट फॉर कैम्पिंग, राफ्टिंग, केबल कार, स्नो–स्कीइंग, कैनोइंग, पैरासेलिंग एवं रोप–वेज। ➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम (ऐलोपैथिक, आर्युवेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी तथा प्रमाणिक अन्य परम्परागत तरीके से रोग निरपेक्ष की सुविधाओं युक्त), स्वास्थ्य देखभाल सेवायें (पुरानी एवं गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार/निदान, स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार–पोषण, फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक /पैथोलॉजी सुविधाओं युक्त)। ➢ आयुष एवं वैलनेसः स्पा एवं कायाकल्प रिसॉर्ट (**Spa & Rejunevation Resort**),आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ। ➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण। • जैव प्रौद्योगिकी। • संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियाँ। • पेट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम, ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं सेवा केन्द्र।
वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित अतिरिक्त गतिविधियाँ/क्रियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगीः– • लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिये पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगेः ➢ Milk Processing and dairy products, Butter	वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित अतिरिक्त गतिविधियाँ/क्रियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगीः– • लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिये पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगेः ➢ Milk Processing and dairy products, Butter

& Cheese. ➢ Non-alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products. ➢ Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery. ➢ Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils. • पर्यटन गतिविधि के रूप में संचालित हाउस बोट/फ्लोटिंग हट्स परियोजना। • सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति–2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें, प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सेन्टर। • प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियों में कुक्कुट पालन उद्योग के लिये बॉयलर/लेयर प्रजनन परिक्षेत्र की न्यूनतम सीमा 1000 पैरेन्ट/चूजे की होगी। • पंचगब्य दब्य। • स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं। • सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना। • रेता, बालू, बजरी तथा प्लाई ऐश को कच्चेमाल के रूप में उपयोग कर नये उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग। स्पष्टीकरणः– • मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी। • विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के	& Cheese. ➢ Non-alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products. ➢ Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery. ➢ Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils. • **पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित/अधिसूचित पर्यटन गतिविधियां/क्रियाकलापः** ➢ **हाउस बोट/फ्लोटिंग हट्स परियोजना।** ➢ **पर्यटन इकाई के रूप में उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियां/क्रियाकलाप।** • सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति–2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें, प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सेन्टर, **सॉफ्टवेयर डवलपमेंट।** • प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियों में कुक्कुट पालन उद्योग के लिये बॉयलर/लेयर प्रजनन परिक्षेत्र की न्यूनतम सीमा 1000 पैरेन्ट/चूजे की होगी। • पंचगब्य दब्य। • स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं। • सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना। • रेता, बालू, बजरी तथा प्लाई ऐश को कच्चेमाल के रूप में उपयोग कर नये उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग। • गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन। स्पष्टीकरणः– • मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी। • विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के

आदेश संख्याः–5(6)/2013–MSME POL दिनांक 05.11.2014 द्वारा परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन को विनिर्माणक गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। अतः विद्युत वितरण के प्रयोजन से राज्य में परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन संबधी गतिविधियों तथा इनके लिये उपकरण/मशीन बनाने वाली इकाईयों को भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होंगी। • श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियों को नीति के अंतर्गत श्रेणीवार विभिन्न अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।	आदेश संख्याः–5(6)/2013–MSME POL दिनांक 05.11.2014 द्वारा परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन को विनिर्माणक गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। अतः विद्युत वितरण के प्रयोजन से राज्य में परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन संबधी गतिविधियों तथा इनके लिये उपकरण/मशीन बनाने वाली इकाईयों को भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होंगी। • **श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथा पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** • **सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विधिवत उद्योग का स्तर प्रदान किया जा रहा है। पर्यटन विभाग, पर्यटन गतिविधियों/ कियाकलापों को राज्य की आवश्यकता तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप इनका चिन्हीकरण कर विधिवत इसकी अधिसूचना जारी करेगा, ताकि उद्योग का स्तर प्राप्त पर्यटन गतिविधियों/कियाकलापों पर औद्योगिक दरों के निर्धारण का प्रकरण पर्यटन विभाग द्वारा विद्युत नियामक आयोग को संदर्भित किया जा सके।**

प्रस्तर 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के प्रस्तर–4.2, 4.6 एवं 4.7 में स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेगें, अर्थात्:

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2		
वर्तमान प्राविधान			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान		
4.2 ब्याज उपादान			4.2 ब्याज उपादान		
क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा	क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	10 प्रतिशत	1	श्रेणी–ए	10 प्रतिशत

		(अधिकतम रू. 08 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई)			(अधिकतम रू. 08 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई)
2	श्रेणी–बी बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई)	2	श्रेणी–बी बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई)
3	श्रेणी–सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई)	3	श्रेणी–सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई)
4	श्रेणी–डी	शून्य	4	श्रेणी–डी	05 प्रतिशत(अधिकतम रू. 03 लाख प्रतिवर्ष/इकाई)
4.6 विशेष राज्य परिवहन उपादानः–			4.6 विशेष राज्य परिवहन उपादानः–		
क्र.सं0	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा	क्र.सं0	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।	1	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
2	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।	2	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल /तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
3	श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रतिवर्ष प्रतिइकाई अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इसमें से जो भी कम हो,	3	श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू. 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
• मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से देय होगी। • रीवर बेड मैटीरियल पर छूट/रियायतों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। • नीति में प्रदत्त छूट/रियायतें श्रेणी–सी तथा डी के जनपदों/क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले पर्यटन/सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को अनुमन्य नहीं होंगे।			• दिनांक 1 जुलाई, 2017 के पश्चात माल एवं सेवा कर (GST) अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित उद्यमों पर जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए योजना के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर के			

	अन्तर्गत दिये गये ऐसे एस.जी.एस.टी. के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय से सम्बन्धित हो। ऐसे विनिर्माणक उद्यमों द्वारा उत्पादित माल/वस्तु, जिन पर जी.एस.टी. लागू नहीं होता और जिन पर राज्य के अन्दर उत्पादित माल/वस्तु के विक्रय में पूर्व की भांति मूल्य वर्धित कर अधिरोपित किया जा रहा है, को एम.एस.एम.ई. नीति तथा तद्विषयक दिशा–निर्देशों में जैसा कि विहित किया गया है, के अनुसार ही निर्धारित सीमा/मात्रा में पात्रता के अनुसार मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की जायेगी। • रीवर बेड मैटीरियल पर छूट/रियायतों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। • श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथाः पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
प्रस्तर–4.7: श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगीः–	प्रस्तर–4.7: नवीन प्राविधान श्रेणी–ए, बी, बी+, सी व डी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दिये जायेंगेः–

नये उप प्रस्तर का अन्तःस्थापन

3. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के प्रस्तर–4 में एक नया उप प्रस्तर–8 निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:

"**4.8** पर्यटन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिये जाने हेतु चिन्हित सीजनल पर्यटन गतिविधियों को न्यूनतम विद्युत अधिभार लिये जाने के संबंध में पृथक रूप से औद्योगिक दरों के निर्धारण का प्रकरण पर्यटन विभाग द्वारा विद्युत नियामक आयोग को संदर्भित किये जाने के संबंध में विधिवत कार्यवाही की जायेगी।"

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / VII-3-18 / 146–एम0एस0एम0ई0 / 2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।